

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1 अम्बेडकर भवन राजमहल पैलेस के पास, जयपुर

क्रमांक:- एफ.1(8)()सामा./भ्रमण/सान्याअवि/2022/35626 जयपुर,दिनांक :- 27-6-2022

कार्यालय आदेश

श्रीमान् शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.2(2)सान्याअवि/2021/377 दिनांक 12.05.2022 में राजकीय कार्यालय व संस्थाओं का सुव्यवस्थितिकरण व लोक सेवाओं में सुधार (IMPROVEMENT OF GOVERNMENT OFFICES & INSTITUTIONS AND IMPROVEMENT IN PUBLIC SERVICES DELIVERY) हेतु सेवा स्थलों की पर्यवेक्षणीय विजिट (SUPERVISORY VISIT) की जानी है, जिसकी पालना में दिनांक 01.07.2022 को निरीक्षण करने हेतु निम्नलिखित अधिकारीगणों को उनके पदनाम के आगे अंकित जिले आवंटित किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम	पद	आवंटित जिला
1.	श्री उम्मेद सिंह	अति. निदेशक (प्रशासन)	जयपुर
2.	श्री सतीश चन्द गोयल	वित्तीय सलाहकार	सिरोही
3.	श्री लखपत मीना	अति. निदेशक (पेंशन एवं पन्नाधाय)	सीकर
4.	श्री रतन लाल अटल	सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग	बूंदी
5.	श्री लोकेश मीना	अति. निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)	दौसा
6.	श्री नरेन्द्र चौधरी	अति. निदेशक, विशेष योग्यजन	अलवर
7.	श्री डालचन्द वर्मा	अति. निदेशक (Plan/Rreis)	भरतपुर
8.	श्रीमती रीना शर्मा	अतिरिक्त निदेशक, बाल अधिकारिता	अजमेर
9.	श्री सुवालाल पहाड़िया	अति.निदेशक (सा.सु)	बाड़मेर
10.	श्री हनुमान सहाय मीणा	वरिष्ठ लेखाधिकारी	जालौर
11.	श्री उपमन्यु सिंह तंवर	लेखाधिकारी अनुजा निगम	झालावाड़
12.	श्रीमती वंदना गुर्जर	लेखाधिकारी, निदेशालय, सान्याअवि	कोटा
13.	श्री दिलबाग सिंह	उप निदेशक (पन्ना./पेंशन)	बारां
14.	श्री बीरबल मीणा	संयुक्त निदेशक (देवनारायण)	प्रतापगढ़
15.	श्री सुरेन्द्र सिंह गजराज	उप निदेशक (पि.जा.)	झुंझुनू
16.	श्री मनोज शर्मा	उप निदेशक. (म.क.)	चित्तौड़गढ़
17.	श्री श्रीचन्द रैगर	उप निदेशक (मॉनीटरिंग)	डूंगरपुर
18.	श्री महेश चन्द मीणा	उप निदेशक, योजना	भीलवाड़ा
19.	श्री बाबूलाल मीना	उप निदेशक (एसीएसपी)	बांसवाड़ा
20.	श्री संदीप कुमार	उप निदेशक, विशेष योग्यजन	सवाईमाधोपुर
21.	श्री शीशराम चावला	संयुक्त निदेशक, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग	पाली
22.	श्री सोहनलाल धानका	महाप्रबंधक, अनुजा निगम	जैसलमेर
23.	श्री मनोज आर्य	सहायक निदेशक (शिक्षा)	धौलपुर
24.	श्री राजेन्द्र शर्मा	सहायक निदेशक (छात्रावास)	करौली
25.	श्री बी.पी.चंदेल	उप. निदेशक (न.मु. व नवजीवन)	श्रीगंगानगर
26.	श्री मोहन लाल महावर	सहायक निदेशक (राईस)	राजसमंद

27.	श्री अशोक जांगिड़	संयुक्त निदेशक, विशेष योग्यजन	हनुमानगढ़
28.	श्रीमती सावित्री शर्मा	उपायुक्त, विशेष योग्यजन	नागौर
29.	डॉ. राहुल गोठवाल	वरिष्ठ लेखाधिकारी, विशेष योग्यजन	बीकानेर
30.	श्रीमती कविता थपलियाल	उप निदेशक, विशेष योग्यजन	टोक
31.	श्री अनिल मच्चा	सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता	जोधपुर
32.	श्री शम्भूराम मीणा	उप निदेशक, बाल अधिकारिता	उदयपुर
33.	श्री चन्द्रशेखर	उप निदेशक, बाल अधिकारिता	चूरू

उक्त सभी अधिकारी आवंटित जिले का भ्रमण दिनांक 01.07.2022 को किया जाना सुनिश्चित करेंगे एवं शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संलग्न आदेश क्रमांक: प.2(2) सान्याअवि/2021/377 दिनांक 12.05.2022 के पृष्ठ भाग पर अंकित QR code को मोबाइल कैमरे से स्कैन कर निरीक्षण प्रपत्र (Google form) डाउनलोड कर निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तथा निरीक्षण रिपोर्ट स्वयं की एस.एस.ओ. आईडी से राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के Tours/Inspection Module पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना सुनिश्चित करेंगे। सम्पर्क पोर्टल पर निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड किये बिना निरीक्षण पूर्ण नहीं माना जायेगा।

जिन अधिकारियों को विभागीय वाहन आवंटित है वे आवंटित वाहन से भ्रमण करेंगे एवं अन्य अधिकारी निरीक्षण के दौरान संबंधित जिला कार्यालय के वाहन का उपयोग करेंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(ओ.पी बुनकर)

क्रमांक:- एफ.1(8)()सामा./भ्रमण/सान्याअवि/2022/35627-750 निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव जयपुर, दिनांक:- 27-6-2022
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, विशेष योग्यजन विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, अनुजा निगम, नेहरू सहकार भवन राजस्थान जयपुर।
7. प्रभारी अधिकारी मुख्यावास.....।
8. उपनिदेशक/सहायक निदेशक सा.न्या.अ.वि/बाल अधि./वि. योग्यजन.....।
9. संयुक्त निदेशक (आई.टी) मुख्यावास को विभागीय वेबसाइट एवं संबंधितों को ई-मेल हेतु।
10. लेखाकार भुगतान (मुख्यावास)।
11. प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना/सामान्य।
12. संबंधित अधिकारी श्री/श्रीमती.....।
13. कार्यालय पत्रावली।

अति. निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)



158

राजस्थान सरकार
कार्यालय शारान सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
एवं बाल अधिकारिता विभाग

क्रमांक:प२(२)सामाजि/२०२१/३७७

जयपुर, दिनांक : 12/5/2022

आदेश

विषय:- राजकीय कार्यालयों व संस्थानों का सुव्यवस्थिकरण व लोक सेवाओं में सुधार (BETTER MANAGEMENT OF GOVERNMENT OFFICES & INSTITUTIONS AND IMPROVEMENT IN PUBLIC SERVICES DELIVERY) हेतु सेवा स्थलों का दिनांक 01 जुलाई 2022 (शुक्रवार) को पर्यवेक्षणीय विजिट कार्यक्रम (SUPERVISORY VISIT PROGRAM)

विभाग के समस्त जिला कार्यालय/ब्लॉक स्तरीय कार्यालय/छात्रावास/आवासीय विद्यालय/गृह आदि कार्य स्थलों/संस्थानों पर बेहतर सेवा प्रदायगी की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए विजिट किया जाना है, जिसका निम्नानुसार उद्देश्य है--

- उद्देश्य:-
1. राज्य सरकार की योजनाओं की जमीनीस्तर/धरातल पर क्रियान्विति।
 2. आमजन को गुणवत्तापूर्ण राजकीय सेवायें उपलब्ध करवाना।
 3. विभिन्न कार्यालयों/अधिकारियों व कर्मचारियों को बेहतर कार्य करने में मार्गदर्शन प्रदान (Supportive Supervision) करना।
 4. कार्यालय पद्धति व कार्य निष्पादन में सुधार।
 5. सुशारान प्रदान करने व संवेदनशील पारदर्शी तथा उत्तरदायी प्रशासनिक व्यवस्था लागू करना।

उक्त के क्रम में विस्तृत दिशा-निर्देश (DIRECTIONS) निम्नानुसार है :-

1. समस्त कार्यालयों व राजकीय/अनुदानित संस्थाओं का पूर्व सूचित पर्यवेक्षण विजिट (Pre-informed supportive visit Programme of all offices and Institutions - Govt. & Aided):-

• दिनांक (Date):- 01 जुलाई 2022 (शुक्रवार)

- सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग
- निदेशालय विशेष योग्यजन
- अनुजा निगम के कार्यालय
- बाल अधिकारिता विभाग

2. पर्यवेक्षण का समय (Visit Timings) :-

- प्रातः 09:00 बजे से पर्यवेक्षण दल राजकीय संस्थाओं/कार्यालयों का गहन निरीक्षण करेंगे।

3. विजिट की जाने वाली संस्थाएं (Institutions to be visited):-

क्र.सं.	निदेशालय	कार्यालय/गृह/योजना का नाम	
1.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	जिला कार्यालय	छात्रावास
		ब्लॉकसामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय	महिला सदन/नारी निकेतन
		आवासीय विद्यालय	वृद्धाश्रम
2.	बाल अधिकारिता निदेशालय	संभ्रमण गृह एवं किशोर गृह	
3.	विशेष योग्यजन निदेशालय	निदेशालय द्वारा संचालित होम्स/विद्यालय	
4.	अनुजा निगम	जिला कार्यालय	

इसके साथ Field Visit कर 5-6 लाभार्थियों की जांच की जानी है।

4. पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारी/कार्मिक (Visiting officers/staff):-

- विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर निदेशालय स्तर से नामित अधिकारियों की टीम गठित करेंगे तथा उनके विजिट का जिला निर्धारित करेंगे। समस्त जिलास्तरीय अधिकारी गण द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के कार्यालय एवं ब्लॉक कार्यालय में अधिकारियों व कार्मिकों के विजिट दलों का गठन कर पर्यवेक्षण कराएंगे एवं गूगल फॉर्म द्वारा विजिट रिपोर्ट भिजवायेंगे।
- यदि कोई संस्था या छात्रावास दूर है तो ऐसी स्थिति में पास की संस्था के संस्था प्रभारी एक दूसरे की संस्था का Visit कर सकते हैं (Cross Inspection)। यदि यह भी संभव न हो तो संस्था प्रभारी स्वयं अपनी संस्था या छात्रावास का निरीक्षण (Self Inspection) कर रिपोर्ट भेज सकते हैं।

5. पर्यवेक्षण की पूर्व तैयारी (Preparations for visit):-

- उपरोक्त की पालना, पेंडेंसी का डिस्पोजल, साफ सफाई, रिकॉर्ड व पत्रावलियों की व्यवस्थित करने आदि हेतु विभागीय अधिकारी गण पहले से ही निर्देश जारी करें और उसकी पालना करायी जावे, जिससे की विजिट के समय व्यवस्थायें अच्छी मिले एवं आवश्यक सुधार सुनिश्चित हो सके।
- जिला प्रभारी अपने-अपने जिलों में पूर्व तैयारी सुनिश्चित करें।


6. निरीक्षण रिपोर्ट (Inspection Report):-

- संक्षिप्त निरीक्षण प्रपत्र गूगल फॉर्म के रूप में सभी राज्य स्तरीय एवं जिलास्तरीय अधिकारियों को वाट्सएप ग्रुप पर ऑनलाईन लिंक के रूप में प्रेषित किया जायेगा। उक्त लिंक नीचे दिये गये QR Code को स्कैन करके भी प्राप्त किये जा सकते हैं। जिससे सभी पर्यवेक्षण दल द्वारा भरे जाने के लिए कुछ Text Field/ Dropdown list/ Date Field (जिला कार्यालय का नाम, स्थान, निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम) है, जिसे English के Keyboard से Type कर/ Select कर भरना होगा व Monitoring संबंधी कुछ बिन्दु/प्रश्न होंगे जिन्हें Yes या No के विकल्प को Radio Button को Touch कर भरा जाना है। फोटो भी इस्ती के माध्यम से ली जानी है। इस गूगल फॉर्म (Google Form) को भरकर सबमिट किया जाये। जिससे ये संबंधित निदेशालय के आई.टी. प्रशाखा में जायेगा। निदेशालय की आई.टी. प्रशाखा द्वारा समस्त गूगल फॉर्म की जिलेवार रिपोर्ट तैयार की जायेगी व सुधार के बिन्दु (Areas of Improvements) साझा किये जायेंगे।
- गूगल फॉर्म के साथ में फोटो अपलोड का विकल्प दिया गया है जिसके माध्यम फोटो अपलोड की जानी है।
- गूगल फॉर्म से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कार्यालय/छात्रावास/आवासीय विद्यालय/अन्य संस्थान का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर उत्कृष्ट संस्थान को उचित स्तर पर निर्णय उपरान्त प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा एवं खराब रिपोर्ट कार्ड होने पर अनुशानात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

अतः उपरोक्तानुसार पर्यवेक्षण कर रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न:- QR Code

पर्यवेक्षण के मुख्य बिन्दु


 (डॉ० सनित शर्मा)
 शासन सचिव

प्रतिलिपी:- सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है-

1. आयुक्त, विशेष योग्यजन/बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/प्रबंध निदेशक अनुजा निगम, जयपुर।
3. समस्त, अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक/योजना प्रभारी निदेशालय विशेष योग्यजन/बाल अधिकारिता/सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग/अनुजा निगम, जयपुर।
4. उपनिदेशक/सहायक निदेशक/अधीक्षक/सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/छात्रावास अधीक्षक समस्त।
5. प्राचार्य आवासीय विद्यालय (राईस)
6. रक्षित पत्रावली।

॥

(डॉ० समित शर्मा)
शासन सचिव

निरीक्षण प्रपत्र (Google form) डाउनलोड करने हेतु नीचे दिये QR Codeको मोबाईल केमरे से स्केन करें।*



***QR Code के माध्यम से गूगल फॉर्म खोलने की विधि**

- QR Code स्केन करने हेतु अपने फोन के केमरे को QR Code के सामने ले जाकर कुछ देर स्थिर रखें।
- जिसके पश्चात एक लिंक खुलेगा जिसको क्लिक करने पर गूगल Docs पेज प्रदर्शित होगा।
- गूगल Docs पेज पर संस्था/कार्यालयवार अलग-अलग गूगल फॉर्म के लिंक प्रदर्शित होंगे।
- निरीक्षण की जाने वाली संस्था के प्रकार के अनुरूप लिंक चयन कर क्लिक करने पर गूगल फॉर्म Open होगा।
- खूले हुए गूगल फॉर्म में पूर्णतः सही जानकारी भरकर फॉर्म को सबमिट करें।

नोट:-अगर फोन के केमरे से स्केन करने पर QR Code लिंक नहीं खूले तो गूगल लेंस की सहायता से उपरोक्त विधि को दोहराये।